शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय जावक क्रमांक : ---------- **दिनांक :** ----------

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती ----------

पुत्र श्री/पुत्री श्री ----------विद्यालय का नाम ----------

---------- दिनांक ---------- से लगातार वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक (सहायक अध्यापक) पद पर स्थायी/ अस्थायी /परिविक्षा पर कार्यरत हैं। जो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 / कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं। ये वेतन श्रृंखला ..... में कुल मासिक वेतन रूपये ..... प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय रूपये ..... प्राप्त कर रहे हैं/करेगें।

निम्नलिखित में से जो भी आपकी संस्था पर लागू हो उसके सामने (✔) सही का निशान लगायें।) एवं आवश्यक जानकारी भरें|

1. यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। ( )

अथवा

2. यह विद्यालय गैर राजकीय विद्यालय है जो राज्य /केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।( )
मान्यता प्राप्ति का वर्ष क्रमांक ---------- ------. ------ ------. - ------. दिनांक ----------
मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ की उपर्युक्त विवरण सही है।

जि.शि.अ.कार्यालय जावक क्रमांक : ---------- **दिनांक :** ----------

प्रतिहस्ताक्षर *
जिला शिक्षाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी (मय सील)
(पूरा नाम)

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान (मय सील)
(पूरा नाम)

***** गैर *राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के विद्यालयों के अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षर करवायें।*

नोट –

1. ***आवेदनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रवेश फार्म भरते समय एवं काउन्सलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढा रहा हो।* तथा पूरी बी.एड. के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए।**
2. *विश्वविद्यालय को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई है। यदि संलग्न प्रारूप में ही हस्ताक्षर नहीं हुए तो विश्वविद्यालय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को अनुपयुक्त मान कर अस्वीकार कर सकता है।*
3. विवाहित महिला अभ्यर्थी का विवाह के पश्चात नाम/सर नेम बदला हो तो काउन्सलिंग के समय गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें अथवा राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई हो तो वह नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. *अभ्यर्थी इस अनुभव प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें तथा प्री. बी.एड. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अनुभव प्रमाण पत्र मूल हस्ताक्षर किया हुआ ही प्रस्तुत करें।* तथा काउन्सलिंग के समय नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर भी लायें।
5. यदि एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रहे हो तो और आप चाहे तो उन सबके अलग से प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न कर सकते है|
6. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।